

पति व बेटे-बेटी सहित पिरौटा पंचायत की बीड़ीसी मेंबर लापता, अपहरण का आरोप

◆ प्रखंड प्रमुख और उनके समर्थकों पर धमाने ले जाने के नाम पर अगवा करने का आरोप
◆ पंचायत समिति सदस्य की पुत्री ने एसपी से की शिकायत

केटी न्यूज़/आरा

सदर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अजागरादाह और शहमात का खेल शुरू हो गया है। इसे लेकर पश्च और विषयक की ओर से हर हथकठड़ अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पिरौटा पंचायत की बीड़ीसी समिति सदस्य सुशीला देवी को पति, बेटे और बेटी सहित अगवा कर लिये जाने का मामला सामने आया है। प्रखंड प्रमुख और उनके समर्थकों पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर

अगवा किये जाने की आशेग लगा है। उनकी बीड़ी रंजना कुमारी की ओर से एसपी को आवेदन देकर हर बात शिकायत दर्ज कराई गई है। एसपी को दिये गये आवेदन में रंजना कुमारी की ओर से कहा गया है कि रत्नपुर गांव के दो लोग 29 नवंबर को उनके घर आये और बोले कि इस बार सुशीला देवी को प्रखंड प्रमुख बनाया है। इस कारण उनके कुछ दिनों तक बाहर रहना होगा। उस पर उसके पिता धर्मेंद्र राम नैरव हो गये। उसके बाद उसके पिता, मां, भाई और दो बच्चों के साथ दोनों लोगों के साथ घूमने लगे। उनके जाने के बाद ही उसके पिता का मोबाइल बंद हो गया।

उस बीच रत्नपुर गांव निवासी एक शख्स के मोबाइल के जरूर उसके पिता और मां से बात होती थी। उसके पिता और मां द्वारा कहा जा रहा था कि कुछ दिन में आ जायें। उस बीच अखबार के मामला समर्थकों पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर

प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने और विश्वास मत हसिल करने की तरीख नहीं है। एसपी को दिये गये आवेदन में रंजना कुमारी की ओर से एसपी को लेकर चिंता होने लगी। उसे लेकर पांच जनवरी को उसने घूमाने ले गये रत्नपुर गांव निवासी सरकार से फोन पर बात की। तब उनके द्वारा सही से बात नहीं किया गया। बाद में बताया गया कि प्रखंड प्रमुख के कहने पर उनके पाता-पिता को लाया गया है। ताकि विश्वास मत हसिल किया जा सके। अवेदन के अनुसार उस शख्स की ओर से रंजना कुमारी की इस बात की विस्तीर्ण से शिकायत करने पर उनके पाता-पिता को हत्या करने की धमकी भी दी गयी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी की ओर से मुख्यसिल थानाध्यक्ष को घटना कि जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश

जब हथियार बिना सील किये कोर्ट में प्रस्तुत करने पर आइओ सह चांदी थानाध्यक्ष तलब, कोर्ट ने मांगा जवाब

आरा। चांदी थानाध्यक्ष को हत्या के मामले में आरोपितों की गिरफ्तारी और हथियार की बरामदी के बाद आर्सों को बिना सील किये कोर्ट में प्रस्तुत करना महंगा पड़ सकता है। इस मामले में कोर्ट की ओर से केस के आइओ सह थानाध्यक्ष सीख कुमार को लेकर विद्या गया है। थानाध्यक्ष को अब सरकार में कोट में हाजिर होकर इसका जवाब देना होगा। उसके लिए थानाध्यक्ष को एक दिन का समय दिया गया है। मुख्य न्यायिक दलाधिकारी सह प्रस्ताव सहायक सत्र न्यायीश सह तुरीय अवर न्यायीश मोरोजन कुमार ज्ञा की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। इधर, मुख्य न्यायिक दलाधिकारी की ओर से यह आदेश में कहा गया है कि केस के आइओ सह थानाध्यक्ष सीख

कुमार की ओर से पांच अभियुक्तों को प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तों को न्यायिक अधिकारी में लेने के क्रम में केस और कांड दैनिकी का अवलोकन किया गया। उस क्रम में आइओ की ओर से जल प्रश्न के रूप में एक देरी कहा और एक पिस्टल बिना सील किये खुले अवस्था में कोट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कांड दैनिकी के एक लोगों के जमीनी विवाद में लोगों का मकान तोड़ दिए गए। अलग यह है कि अब लोग इस ठंडे तापमान को मौजूद बाहर रखना तोड़ आकाश तले गुजर-बस करने की मजबूत है। बताया जाता है कि उस गांव निवासी बासुदेव यादव और बनारसी यादव के बीच गैर मंजुरआ जमीन को लेकर विवाद हुई थी जिस जमीन पर पुरुष में डैनैन या जिस पर लोगों ने मकान बन लिया था। इस दौसारे गैर मंजुरआ को लोगों द्वारा खुले फोटो, गैरी पाट और किसी का चार से पांच फोटो अतिक्रमण किया गया था। इन लोगों के विवाद में अन्य अतिक्रमणों का मामला हाईकोर्ट में पूछा जिसमें कोट ने अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया। शुक्रवार को सोआंशु कुमार और थानाध्यक्ष शशि कुमार राणा जेसीबी लेकर सैकड़ों प्रस्तुतियों के साथ पहुंचे और लोगों को जारी करावाइ की गई। उस गांव निवासी बासुदेव सत्येन्द्र राम का ज्ञानीय नुमा मकान, रुपांतर गैर मंजुरआ को लेकर सैकड़ों लोगों ने दो फोटो जमीन अतिक्रमण होने पर 10 फोटो तोड़ दिया गया। भींगारी गैर मंजुरआ का कच्चा-पक्का मकान, कालेश राम, रामरेखा गैर मंजुरआ को लोगों द्वारा लिया गया है। इसके बावजूद घर खुले आकाश में रहने के लिए मजबूत हो गए हैं। इसके अलावा सुनिल ठाकुर, बासुदेव यादव, बनारसी यादव, गमगांव यादव, जुदून गैर, गमलेखा गैर, प्रहलाद ठाकुर, लक्षण यादव, सहित 21 लोगों का मकान तोड़ दिया गया है। सोआंशु कुमार ने बताया कि अतिक्रमण का बाद कामी दिनों से चल रहा था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया।

बक्सर, 07 जनवरी 2023

website:keshavtimes.com

e-mail:keshavtimes1@gmail.com

2

एक नजर

दो लोगों के जमीनी विवाद में 21 लोगों का टूटा घर

औरंगाबाद। हाई कोर्ट के निर्देश

पर 21 लोगों का मकान ध्वन्त कर दिया। मामला औरंगाबाद ज़िले के मदनपुर अंचल अंतर्गत एक कला पंचायत के एक गांव में लोगों का मकान तोड़ दिए गए। अलग यह है कि अब लोग इस ठंडे तापमान को मौजूद बाहर रखना तोड़ आकाश तले गुजर-बस करने की मजबूत है। बताया



औरंगाबाद के कोईलवा में जन समाधान कार्यक्रम के तहत लगा विशेष शिविर ऑन द स्पॉट सुनी गई समस्याएं, पात्र व्यक्तियों को मिला योजनाओं का लाभ

केटी न्यूज़/औरंगाबाद



जन समाधान कार्यक्रम के तहत जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अव्यक्ति में विशेष शिविर का आयोजन रखा गया। यह कार्यक्रम हसपुरा प्रखंड के ग्राम पंचायत कोईलवा अंतर्गत उच्च विद्यालय कोईलवा के मैदान में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जिला पदाधिकारी ने किया। वर्षी जनता से सीधी सवाद कर कर उक्ती समस्याओं को जिला पदाधिकारी श्रीसुशीला देवी ने उससे शादी का ज्ञानीय नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी श्रीसुशीला देवी ने सुना और अन स्पॉट समस्या का विवरण किया। उसके बाद उक्ती नाम दिया गया। स्थानीय लोगों द्वारा समस्याओं के नियन्करण का मामला लाया गया जिस पर उक्ती द्वारा कार्यक्रम के उपर्योग किया गया।

इस अवसर पर कई विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने विज्ञान संबंधित विभिन्न मॉडल के द्वारा ग्राम पंचायत के अन्य विभिन्न प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। अनुप्रयोग का उपर्योग जिला पदाधिकारी ने किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती नाम दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने जिला प्रश्न पर लोगों के विवरण किया। उक्ती न

